अजय ट्रेड सिंक्स प्रा.लि. वि. शुभ कदम

प्रकरण क. 4848/2018

27.01.2020

परिवादी अनुपस्थित उसकी ओर से श्री प्रशांत बाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित होकर हाजिरी माफी आवेदन पेश किया गया विचार उपरांत स्वीकृत किया गया।

आरोपी सहित श्री चंद्रशेखर चंद्राकर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज परिवादी द्वारा दिनांक–12.12.2019 को प्रस्तुत आवेदन पंजाब नेशनल बैंक श्याम नगर शाखा रायपुर के शाखा प्रबंधक/ सक्षम अधिकारी का साक्ष्य सर्वप्रथम कराये जाने के जवाब हेतु नियत है।

आरोपी अधिवक्ता द्वारा परिवादी के उक्त आवेदन का जवाब न देना व्यक्त कर कोई आपत्ति नहीं होने का लेख आवेदन पत्र पर लिखकर किया गया।

उक्त आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किया गया।

<u>इस आदेश द्वारा परिवादी द्वारा दिनांक–12.12.2019 को प्रस्तुत आवेदन पंजाब नेशनल बैंक श्याम नगर शाखा रायपुर के शाखा प्रबंधक/ सक्षम अधिकारी का साक्ष्य सर्वप्रथम कराये जाने का निराकरण किया जा रहा है।</u>

परिवादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक श्याम नगर शाखा रायपुर के शाखा प्रबंधक/सक्षक अधिकारी चेक में अभियुक्त के फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि परिवादी की फर्म से अभियुक्त रॉकी दसवानी द्वारा अपने आप को शुभ कदम का प्रोपराईटर होना कथित कर संव्यवहार करते हुये प्रश्नाधीन चेक को परिवादी को प्रदान किया गया है। चेक के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, श्याम नगर शाखा रायपुर के शाखा प्रबंधक/सक्षम प्राधिकारी का साक्ष्य कराये जाने का निवेदन किया गया है।

आरोपी अधिवक्ता द्वारा परिवादी के उक्त आवेदन का जवाब न देना व्यक्त कर आपत्ति नहीं होने का लेख आवेदन पत्र पर लिखकर किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का परिवाद पेश किया गया है। परिवादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि चेक के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, श्याम नगर शाखा रायपुर के शाखा प्रबंधक/सक्षम प्राधिकारी का साक्ष्य कराये जाने का निवेदन किया गया है। अतः न्यायहित में निवेदन स्वीकार कर यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी पेशी में परिवादी स्वयं अपने साक्षी उपस्थित रखे अथवा परिवादी द्वारा विधिवत तलवाना करने पर पंजाब नेशनल बैंक, श्याम नगर शाखा रायपुर के शाखा प्रबंधक/सक्षम प्राधिकारी को समंस जारी कर साक्ष्य आहूत कराया जावे।

प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक–06.02.2020

सही/–
(डॉ0सुमित कुमार सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)